

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं०- 02.त0शि0/योजना-06/2024

/राँची, दिनांक-

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
पोस्ट- हिनु, राँची।

विषय:-

झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के को-ऑर्डिनेशन भवन में फर्निशिंग कार्य संबंधी प्राक्कलित राशि रु० 44,00,000/- (रु० चौवालीस लाख) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में अवस्थित झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद के को-ऑर्डिनेशन भवन का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। उक्त भवन में फर्निशिंग कार्य हेतु कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 3038(नि) दिनांक 16.12.2024 के द्वारा तकनीकी अनुमोदित राशि रु० 48,14,600/- (रु० अड़तालीस लाख चौदह हजार छः सौ) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त कर विभागीय पत्रांक 39/योजना दिनांक 27.12.2024 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. उक्त भवन में फर्निशिंग कार्य हेतु झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को कोई भी राशि विमुक्त नहीं की गयी है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड का पत्रांक 2410(नि) दिनांक 18.09.2025 द्वारा विषयांकित कार्य के विपत्र भुगतान हेतु राशि की अधियाचना की गयी है।

अतः उक्त के आलोक में झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में अवस्थित झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के को-ऑर्डिनेशन भवन में फर्निशिंग कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राशि रु० 44,00,000/- (रु० चौवालीस लाख) मात्र की निकासी एवं भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघु शीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष-06-तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण-इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खान् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी। विपत्र कोड - 43S42020210506010545
4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होंगे एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेंगे।
5. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा उक्त कार्य का क्रियान्वयन PWD Code एवं JSOR Standard Operating Procedure, 2020 के आलोक में नियमानुसार किया जायेगा।
6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
7. कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति के संबंध में पर्यवेक्षण प्रतिवेदन कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद के द्वारा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं समय-समय पर गहन समीक्षा निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा करते हुए अनुश्रवण की जायगी।
8. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नहीं किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेंगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

SH

10. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा-निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
11. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
12. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी०भी०न० सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 02.त०शि०/योजना-06/2024

/राँची, दिनांक:-

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 02.त०शि०/योजना-06/2024/18/योजना

/राँची, दिनांक:- 10.10.2025

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/प्रबंधक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कुलसचिव, झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/विभागीय अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SK
10/10/25

सरकार के अपर सचिव